न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/ (त्वरित न्यायालय) /
विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट, शामली।
तृतीय जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 926/2026
ओम पुत्र भगतराम, निवासी ग्राम मस्तगढ, थाना झिंझाना, जिला शामली।

..... **आवेदक/अभियुक्त**

बनाम

उ०प्र० राज्य द्वारा सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी, शामली।

... . **विपक्षी,**

मु०अ०सं०–04/2013,
धारा–2/3 गैंगस्टर एक्ट,
थाना – शामली , जिला शामली,

दिनांकः–29.06.2026

1. यह तृतीय जमानत प्रार्थना पत्र आवेदक/अभियुक्त **ओम पुत्र भगतराम** की ओर से मु०अ०सं० 04/2013, धारा–2/3 गैंगस्टर एक्ट, थाना शामली, जिला शामली के मामले में प्रस्तुत किया गया है।

2. आवेदक/अभियुक्त द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि आवेदक/अभियुक्त की प्रथम जमानत स्वीकार हो चुकी थी। आवेदक/अभियुक्त बीमार होने के कारण नियत दिनांक को न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हो सका जिस कारण न्यायालय द्वारा उसके विरूद्ध गैर जमानतीय वारण्ट जारी कर दिये गये। आवेदक/अभियुक्त ने जानबूझकर न्यायालय के आदेश की अवहेलना नहीं की गई है। आवेदक/अभियुक्त को झूठा व रंजिशन फंसाया गया है। आवेदक/अभियुक्त ने कोई गैंग नहीं बना रखा है और न ही किसी गैंग का सदस्य है। आवेदक/अभियुक्त ने गैंग बनाकर कोई अवैध सम्पत्ति अर्जित नहीं की है। आवेदक/अभियुक्त दिनांक 11.06.2025 से आत्मसर्पण कर जिला कारागार मुजफ्फरनगर में निरूद्ध है। उपरोक्त आधार पर आवेदक /अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने का अनुरोध किया गया है।

3. विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र का विरोध किया गया।

4. सुना व पत्रावली का अवलोकन किया।

5. पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि आवेदक/अभियुक्त की जमानत उक्त मुकदमें में दिनांक 23.05.2023 को न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/त्वरित न्यायालय, शामली से स्वीकृत की जा चुकी है। आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध गैर जमानतीय वारण्ट जारी किये गये थे आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया जा चुका है। आवेदक /अभियुक्त दिनांक 11.06.2025 से जिला कारागार मुजफ्फरनगर में निरूद्ध है। अतः गुण–अवगुण पर कोई टिप्पणी किये बिना यह न्यायालय आवेदक/अभियुक्त का तृतीय जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने का पर्याप्त आधार पाता है।

<u>आदेश</u>

आवेदक/अभियुक्त **ओम पुत्र भगतराम** की ओर से प्रस्तुत तृतीय जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। आवेदक/अभियुक्त द्वारा अंकन रुपये 1,50,000/– (रुपये एक लाख पचास हजार) का व्यक्तिगत बन्धपत्र व इतनी ही धनराशि के **दो नवीन प्रतिभू** दाखिल करने पर जमानत पर रिहा किया जावे।

ऋतु नागर
अपर सत्र न्यायाधीश/(त्वरित न्यायालय),
विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट, शामली।
J.O. I.D No.1671